सार्वजनिक सूचना

ऐसा देखने में आया है कि हरियाणा राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले कुछ वाहनों पर स्पीड गवर्नर नहीं लगे हुए हैं। इस नोटिस के माध्यम से सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य में सभी गुड्स व पैसेंजर परिवहन वाहनों में एआईएसः018 मानक का स्पीड गवर्नर लगवाया जाना अनिवार्य है। भविष्य में स्पीड गवर्नर रहित परिवहन वाहनों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह भी ध्यान में आया है कि कुछ वाहन चालकों द्वारा स्पीड गवर्नरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या स्पीड गवर्नर लगवाने के उपरांत उतारे जा रहे हैं। वाहनों पर लगे स्पीड गवर्नर को उतारना या उसके साथ छेड़खानी करना एक अपराध है। ऐसा करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक व उनके वाहनों के फिटनैस प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन आयुक्त, हरियाणा

******